(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07/2019

बउनवान

1. पानाचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. फूलचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. बालकिशन पुत्र चम्पालाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ
3. बद्री बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के प्रकरण सं0:– रास्ता/न्याय/2018/29–34 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 की अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 09.09.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण सं0:– रास्ता/न्याय/2018/29–34 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई जो अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2019/80 दिनांक 18.04.2019 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक [illegible] अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि दिनांक 23.05.2018 को रेस्पो0 [illegible] 1 [illegible] विरूद्ध अपीलांटगण व रेस्पो0 क्रम 2 व 3 के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] गया कि उसके खसरा नंबर 29 रकबा 8 बीघा आराजी पर आने–जाने, [illegible] वर्षो पुराना [illegible] आ रहा है तथा इसके अलावा खसरा नं0 27 रकबा 9 बीघा 12 [illegible] पर आने–जाने का रास्ता [illegible] स्थित है। इस रास्ते को खुलासा करवाये जाने की प्रार्थना की है। उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 2 व 3 को तलब किए, एकपक्षीय आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय ने भयंकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र को सुने जाने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:23:11 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम रास्ते के बाबत अधिकार ग्राम पंचायत को हीं न्याय हेतु दिया गया है परन्तु रेस्पो0 क्रम 1 प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा बताया गया एवं चाहा गया रास्ता वर्षों पुराना होते हुए भी राजस्व विभाग में क्यों अंकित नहीं हो सका ? राजस्व अभिलेखों में जब रास्ते का अंकन हीं नहीं है तब वहां रास्ता होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। भू–अभिलेख तारीखी 13.06.2018 कतई अविश्वसनीय है। उक्त रिपोर्ट पर हीं दिनांक 14.06.2018 व 22.06.2018 के व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो रहे है। अतः उक्त रिपोर्ट अविश्वसनीय होने के कारण अपठनीय है। खसरा नं0 29 के दो नंबर हो चुके है तथा उक्त खसरा नं0 29 व 29/111 की दक्षिणी मेर से आने–जाने में अपीलांटगण को आपत्ति नहीं है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद का निर्णय दिनांक 22.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018, मझले आम में उक्त आदेश पारित किया गया है जिसमें तहसीलदार को राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकार दिए जाते है। अतः अपीलांटगण के अभिभाषक का यह कथन गलत है कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद को उक्त आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर नजरी नक्शे की जांच रिपोर्ट मंगवायी गई जिसके मुताबिक ग्राम लक्ष्मीपुरा के आराजी खसरा नं0 27 और 29 की भूमि पर जाने का रास्ता मुताबिक रिकार्ड खसरा नं0 25 रकबा 1.13 गैर मुमकिन नाला है। जिसमें पत्थर का पक्का कोट कर अवरूद्ध कर दिया गया था। प्रकरण में पुराने रास्ते को हीं खुलासा करवाया गया है न कि नया रास्ता कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:23:11 IST
Reason: SelfAttested